



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 709 / SEIAA/2022

Date: 6/6/22

प्रति,

कलेक्टर,
जिला सागर (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्रमांक 9140/2022 - परियोजना प्रस्तावक शिव शक्ति स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री पवन कुमार राय आत्मज श्री किशोरी लाल राय, निवासी- बस स्टेण्ड के पास तहसील बटियागढ़, जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16,802 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 930, रकबा 1.550 हेक्टेयर, ग्राम बूड़ाखेरा, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

प्रकरण में SEAC की 571 वी बैठक दिनांक 12.05.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण SEIAA की 727 वी बैठक दिनांक 26.05.2022 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

उक्त प्रकरण में श्री कालूराम, निवासी- बूड़ाखेरा, तहसील बण्डा, जिला सागर द्वारा SEIAA कार्यालय में दिनांक 17.05.2022 को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार उत्खनन से प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा एवं जंगली जानवरों का आवागमन बाधित होगा तथा उक्त जमीन पर पूर्व में आदिवासी पट्टा स्वीकृत था जिसपर अवैध कब्जा किया गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त शिकायत पत्र के संबंध में कलेक्टर सागर से 10 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण में प्राप्त शिकायत का निराकरण करवा कर 10 दिवस के अंदर स्पष्ट अभिमत SEIAA कार्यालय को भेजने का कष्ट करे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 710 /SEIAA/2022
प्रतिलिपि:-

दिनांक -

6/6/22

1. जिला खनिज अधिकारी, जिला - सागर (म.प्र.) को सुचनार्थ ।
2. शिव शक्ति स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री पवन कुमार राय आत्मज श्री किशोरी लाल राय, निवासी- बस स्टेण्ड के पास तहसील बटियागढ़, जिला दमोह (म.प्र.) को सुचनार्थ ।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

प्रति
सदस्य सचिव
सिया ,पर्यावरण परिसर
ई-5 ,अरेरा कॉलोनी भोपाल

विषय - पर्यावरण स्वीकृति निरस्त किए जाने हेतु निवेदन !

महोदय जी ,

सिआ फाइल क्रमांक 9140/22 ग्राम बूड़ाखेड़ा तहसील बंडा जिला सागर खसरा संख्या 930 जहां है वहा प्रकृति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा यह उत्खनि पट्टे द्वारा, यह की वहाँ जंगली जनवरो का आवागमन होता है एवं उक्त भूमि पर पूर्व मे आदिवासी पट्टा स्वीकृत किया गया था , उत्खनिपट्टाधारी संस्था द्वारा मिली भगत कर यह ज़मीन पर अवेधानिक रूप से कब्ज़ा कर लिया गया एवं बहुत सारा लोन भी निकाला गया है !

प्रया स्वीकृति नहीं प्रदान की जाए ! धन्यवाद

प्रतिलिप - माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी मंत्रालय भोपाल

भवदीय

(कालूराम)

ग्रामवासी कालूराम

ग्राम बूड़ाखेरा तहसील बंडा जिला सागर (मध्य प्रदेश)

BAEW
PFCES
Karam
A part
up

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPOO)

Receipt No..... 412

Date..... 17/5/22